राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास श्री सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

करण संख्या :– 49/2025/दावा/बउनवान/रामकन्या बाई बनाम राज0 सरकार

सीसीएमएस संख्या 2025/251

रामकन्याबाई पुत्री नारायण पत्नी गोविन्दलाल जाति चमार(बैरवा) निवासी रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल जिला बारां

.........वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट

कील वादी : श्री देवेन्द्र चौरसिया

ायरा दिनांकः 19.02.2025 **निर्णय दिनांक : 21.12.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादनी ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल की निवासी है जिसका विवाह ग्राम निमोदा तहसील पीपल्दा में हुआ है जो कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करती आ रही है।
2. यह कि वादनी के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 106 खसरा नं0 541 रकबा 0.69 हे०, खसरा नं० 542 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हे0 वाके ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल में स्थित है जो जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में वादनी के नाम से शामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें वादनी का नाम रामकन्याबाई पुत्री नारायण के स्थान पर कन्या पुत्री नारायण दर्ज हो रहा है।
3. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादनी का नाम कन्या पुत्री नारायण दर्ज हो रहा है जबकि वादनी का वास्तविक नाम रामकन्याबाई पुत्री नारायण है जिसको वादनी कन्या के स्थान पर रामकन्याबाई दुरुस्त करवाने की कानूनी अधिकारी है।
4. यह कि वादनी का नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में रामकन्याबाई दर्ज हो रहा है इसलिए अपना नाम राजस्व रिकार्ड में कन्या पुत्री नारायण के स्थान पर रामकन्या बाई पुत्री नारायण दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है।
5. यह कि वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से तथा अन्य दस्तावेज में अलग होने से वादनी सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नही कर पा रही है इसलिए वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिसकी वादनी कानूनन अधिकारी व नालिसी है।
6. यह कि इसकी पुष्टि के लिए कि वादनी ने अपना मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति इस वाद–पत्र के साथ पेश कर रही है।

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी

7. यह कि वादनी ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही करवाने हेतु तहसीलदार साहब मांगरोल के समक्ष प्रार्थना–पत्र भी पेश किया किन्तु उनके द्वारा दावा श्रीमान के समक्ष पेश करने हेतु दिनांक 13.01.2025 को कहते हुये नाम दुरुस्त करने से मना कर दिया इसलिए दावा श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

8. यह कि वाद कारण दिनांक 13.01.2025 को प्रतिवादी से वादनी द्वारा राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने का निवेदन करने पर उनके द्वारा नाम दुरुस्त करने से इन्कार करने पर तहसील हाजा मांगरोल में उत्पन्न हुआ है।

9. यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

10. यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि आराजी खाता संख्या 106 खसरा नं0 541 रकबा 0.69 हे०, खसरा नं० 542 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हे0 वाके ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल में स्थित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम कन्या पुत्री नारायण के स्थान पर रामकन्या बाई पुत्री नारायण दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादी को दिलाई जावें।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19.02.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/265 दिनांक 08.04.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट अनुसार कन्याबाई/रामकन्याबाई पुत्री नारायण जाति चमार ये एक ही महिला है। इस नाम की अन्य कोई महिला नही है। इसको कन्याबाई व रामकन्याबाई दोनो नामों से पुकारा जाता है। तहसीलदार मांगरोल द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम कन्याबाई के स्थान पर रामकन्या बाई दर्ज करने की अनुशंषा की गई।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर आराजी खाता संख्या 106 खसरा नं0 541 रकबा 0.69 हे०, खसरा नं० 542 रकबा 0.39 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हे0 वाके ग्राम रामपुरा भगतान तहसील मांगरोल में वादी का नाम कन्याबाई के स्थान पर रामकन्याबाई दर्ज राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादिनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादिनी स्वयं जिम्मेवार होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल